संख्या–बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016–462 पटना,दिनांक– 30/06/2017

बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार सरकार

अधिसूचना

विषयः– राज्य के बाहर TOT कराये जाने हेतु मानक दर का निर्धारण ।

Domain skilling में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु Sector Skill Council के माध्यम से TOT कराया जाता है । Domain skilling से संबंधित कुछ प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या यथेष्ठ नहीं होने के कारण Sector Skill Council के द्वारा बिहार राज्य में TOT कराने में दिलचस्पी नहीं ली जाती है ।

2. उपर्युक्त स्थिति में TOT हेतु प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को SSC के माध्यम से संचालित राज्य के बाहर प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजे जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अपने व्यय पर प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी TOT हेतु राज्य के बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं ।

3. सम्यक विचारोपरान्त Sector Skill Council के द्वारा संचालित राज्य के बाहर TOT प्रशिक्षण केन्द्रों पर राज्य के प्रशिक्षकों को भेजकर TOT कराने का निर्णय लिया गया है ।

4. इस हेतु संबंधित प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी को SSC के द्वारा संचालित राज्य के बाहर अवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र तक जाने हेतु निकटतम रुट से स्लीपर क्लास का आने–जाने का किराया तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग के रुप में निम्न दर का भुगतान बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

Sl. no.	Categories	Payment per trainee
1.	X Category Cities/Town per day	Rs.300/-
2.	Y Category Cities/Town per day	Rs.250/-
3.	Z Category Cities/Town per day	Rs.200/-
4.	Rural Areas and any Area not notified as a municipal/town area.	Rs.175/-

5. यह दर दिनांक–01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से लागू मानी जायेगी ।

6. यह अधिसूचना दिनांक–06.06.2017 तथा 15.06.2017 को संपन्न बिहार कौशल विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्षद में लिए गये निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है ।

30/6/17

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016–462 पटना,दिनांक– 30-06-2017

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/महानिरीक्षक, कारा सेवायें/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/17

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016–462 पटना,दिनांक– 30-06-2017

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/6/17

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।